



महाना गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

कादर नवाज खान

Kadar Nawaz Khan

कुलसचिव/ Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/AT (AC)/2015/183

दिनांक: 05/05/2017

कार्यालय आदेश

विद्या-परिषद की दिनांक 29.04.2017 को हुई 26^{वीं} बैठक में मद संख्या 02 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के आलोक में दूरशिक्षा निदेशालय के शिक्षकों के पी-एच.डी. निर्देशन संबंधी व्यवस्था सहित एम.फिल. तथा पी-एच.डी. अध्यादेश में अन्य वांछनीय परिवर्तन एवं परिवर्द्धन हेतु संकायाध्यक्षों की समिति निम्नानुसार गठित की जाती है-

संकायाध्यक्ष, भाषा विद्यापीठ-	अध्यक्ष
संकायाध्यक्ष, साहित्य विद्यापीठ-	सदस्य
संकायाध्यक्ष, संस्कृति विद्यापीठ-	सदस्य
संकायाध्यक्ष, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ-	सदस्य
संकायाध्यक्ष, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ-	सदस्य
संकायाध्यक्ष, शिक्षा विद्यापीठ-	सदस्य
संकायाध्यक्ष, प्रबंधन विद्यापीठ-	सदस्य
संकायाध्यक्ष, विधि विद्यापीठ-	सदस्य

उक्त अध्यादेश हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में बनाया जाएगा। समिति से अनुरोध है कि वह अपना प्रतिवेदन माननीय कुलपति के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

कादर नवाज
(कादर नवाज खान)

05/05/17

प्रतिलिपि: संबंधित सभी।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. सभी विभागाध्यक्ष, निदेशक एवं प्रभारी।
4. सहायक कुलसचिव (परिषद्) को विद्या-परिषद की अगली बैठक की कार्यवाई के लिए।
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. संबंधित फाइल।